शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोटः- दिनांक 04.07.2024

थाना सदर बाजार पुलिस में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान जनपद में अपराध की रोकथाम के अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्रीमती सौम्या पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

दिनांक 03.07.2024 को वादिनी निवासी थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गई कि उसके पडोस के रहने वाले संजीव पुत्र सुंदर लाल निवासी तिलहरजई थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया है, जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 458/24 धारा 65(2) भारतीय न्याय संहित(बी.एन.एस.) व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)(v) SC/ST Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा की जा रही है। उक्त अपराध की गम्भीरत के दृष्टिगत थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजीव पुत्र सुंदर लाल निवासी तिलहरजई थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

संजीव पुत्र सुंदर लाल निवासी तिलहरजई थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार मौर्य, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
2. का02046 अनुज सैनी, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर